SALE DEED

02CC 866049

विक्रय–पत्र

विक्रय पत्र अंकन : रुपये 27,00,000/–

कुल देय स्टाम्प अंकन : रुपये 2,75,000/–

विवरण विक्रय भूमि

अविकसित आवासीय खाली प्लाट नम्बर 60, क्षेत्रफल 525.36 वर्गमीटर, सम्बन्धित खसरा संख्या 619 स्थित ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी, परगना लोनी, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर। विक्रय भूमि खाली है। जिसमें कोई निर्माण नही है। विक्रय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

Pawan Kumar S/o Sh. Sailpal
R/o Nehru Nagar Ghaziabad.

बैनामा रु० 2700,000/-

2700000/-

02CC 866050

<u>सीमाएं उक्त भूमि</u>

पूरब— सड़क 24 मीटर चौड़ी।

पश्चिम— भूमि दीगर।

उत्तर— भूमि खेमराज (खसरा संख्या 519)

दक्षिण— खसरा नम्बर 527

मैसर्स धामपुर इन्वरटोज लि० पंजीकृत कार्यालय ग्राम—पल्लावाला धामपुर, जिला बिजनौर कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुभाष जग्गी पुत्र स्व० श्री दीनानाथ जग्गी व श्री शिव शंकरन पुत्र स्व० श्री टी० सी० वामी, पता—24, स्कूल लेन, नजदीक इण्टर कन्टीनेन्टल होटल, दिल्ली—11000, फरीक अव्वल (जिन्हें इस विक्रय पत्र में विक्रेता फर्म कहा गया है)

02CC 866051

एवम्

श्री पवन कुमार पुत्र श्री सतपाल निवासी–सैकिन्ड–सी–135, नेहरू नगर, गाजियाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद, फरीक दोयम (जिन्हे इस विक्रय पत्र में क्रेता कहा गया है) के मध्य किया गया।

इस प्रलेख में पक्षकारों के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक प्रतिनिधिगण एवं स्थानापन्न सम्मलित समझे जावेंगे।

02CC 866052

विदित हो कि स्थित ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी, परगना लोनी, तहसील दादरी, गौतमबुद्धनगर के खसरा नम्बर 519, में अविकसित आवासीय खाली प्लाट नम्बर-60, कुल भूमि रकबई 525.38 वर्गमीटर की प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी सत्ता प्राप्त स्वामिनी एवं अधिपति है। उपरोक्त भूमि क्षेत्रफल 525.38 वर्गमीटर को क्रेता कम्पनी ने विक्रय पत्र दिनांक 30-07-2005 ई0 जिसकी पंजीकृत बही नम्बर-1, जिल्द 1300 के पृष्ठ 993 से 1010 में नम्बर-4599 पर दिनांक 30-07-2005 को कार्यालय उप-निबन्धक, नोएडा द्वितीय में दर्ज होकर हुई है के द्वारा क्रय किया है, जिसका विक्रय जहाँ है जैसा है के आधार पर आज किया जा रहा है, इस विक्रय पत्र के निष्पादन करने के पश्चात विक्रेता कम्पनी तथा विक्रेता का खसरा नम्बर-519 में कोई भी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रूपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 866053

भूमि शेष नही रहती है। विक्रय की जा रही 525.38 वर्गमीटर भूमि आज दिन तक प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी की ओर से हर प्रकार के बंधक भार आदि से सुरक्षित है, कही अन्य जगह, किसी दान, करार, विक्रय, बैंक ऋण, जमानत एवं बन्धन आदि में ग्रस्त नही हैं। विक्रय भूमि के विषय में कोई वाद–विवाद किसी न्यायालय, किसी कार्यालयएवं किसी विभाग में लम्बित नहीं है। हर प्रकार के वाद–विवाद से मुक्त है, इस तथ्य का विश्वास विक्रेता फर्म ने क्रेता फर्म को दिला दिया है। क्रेता ने भी मौका व कागजात आदि देखकर अपनी तसल्ली भली प्रकार कर ली है। मुझ निष्पादक श्री सुभाष जग्गी व श्री शिव शंकरन उक्त प्रथम पक्ष कम्पनी की ओर से बहैसियत अधिकृत प्रतिनिधि बजरिये प्रस्ताव दिनांक 28-4-2006 मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 866054

आधार पर उक्त भूमि को विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार है और उक्त प्रस्ताव आज दिन तक बदस्तूर कायम है। अतः हमने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ्य इन्द्रियों की दशा मे बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये कम्पनी के हित में उक्त भूमि को मय तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हर किस्म मय कब्जा आदि आदि से आज की तारीख में बदले अंकन 27,00,000/– (सत्ताईस लाख रुपये मात्र) जिसके आधे 13,50,000/– (तेरह लाख पचास हजार रुपये मात्र) होते है में द्वितीय पक्ष क्रेता को बय कतई कर दी और

9999893239

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

02CC 866055

बेच दी है और कुल धनराशि केता से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है। कुछ बाकी नही रहा है अब इकरार यह कि विक्रय भूमि की मिलकियत व उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी व वारसान विक्रेता कम्पनी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और न कभी होगा। कब्जा मौके पर विक्रय भूमि पर द्वितीय पक्ष केता को करा दिया गया है।

02CC 866056

अब विक्रित की जा रही भूमि का केता पूर्णतः स्वामि बन गया है उनको सर्वथा अधिकार है कि विकय भूमि को जिस प्रकार चाहे बहेसियत मालकाना प्रयोग में लावें, भवन निर्माण करें, भवनकर कायम करावें, स्वयं रहे, दूसरों को रखे या बेचे। यदि विकय भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी की ओर से किसी प्रकार का कोई भार निकला और निकला हुआ भार द्वितीय पक्ष केता को अपने पास से अदा करना पडा अथवा मुझ निष्पादक के अनाधिकार या विक्रेता कम्पनी वारसान विक्रेता की दावेदारी आदि आदि से विकय भूमि कुला अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष केता के कब्जे मालकाना से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर

02CC 866057

द्वितीय पक्ष केता को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली सम्पत्ति की धनराशि को मय सूद कानूनी न्यायालय द्वारा मय हर्जे–खर्चे मुझ निष्पादक एवम् कम्पनी विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से चाहे जिस प्रकार वसूल कर ले। राजस्व अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम विकंय पत्र के आधार पर प्रथम पक्ष दर्ज करा देंगे

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs. 20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

02CC 866058

अथवा द्वितीय पक्ष अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें इसमें विक्रेता कम्पनी /निष्पादकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहाँ कहीं भी हम निष्पादको के हस्ताक्षरों एवं रजामन्दी की आवश्यकता होगी हम सहर्ष करेगें। कलैक्टर द्वारा ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की आवासीय भूमि की दर

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 866059

अंकन 3,500/- रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया हुआ है। मूल्य निर्धारित दर के मूल्य से अधिक है, जिस पर स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेय पत्र का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष क्रेता ने

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 866060

वहन किया है। विक्रय भूमि का मानचित्र इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न है। विक्रय भूमि की बाबत दोनों पक्षगणों के मध्य पूर्व में इकरारनामा महायदा बय निष्पादित नहीं किया गया है।

02CC 866061

<u>विवरण प्राप्त कुल मूल्यधन का</u>

द्वारा पे ऑर्डर नम्बर 849660, अंकन रूपये 27,00,000/- दिनांक 02.05.06 अदाकर्ता ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, रजापुर, शास्त्री नगर, गोजियाबाद।

इस प्रकार विकेता फर्म को केता फर्म से कुल मूल्यधन रूपये 27,00,000/- प्राप्त हो गया है।

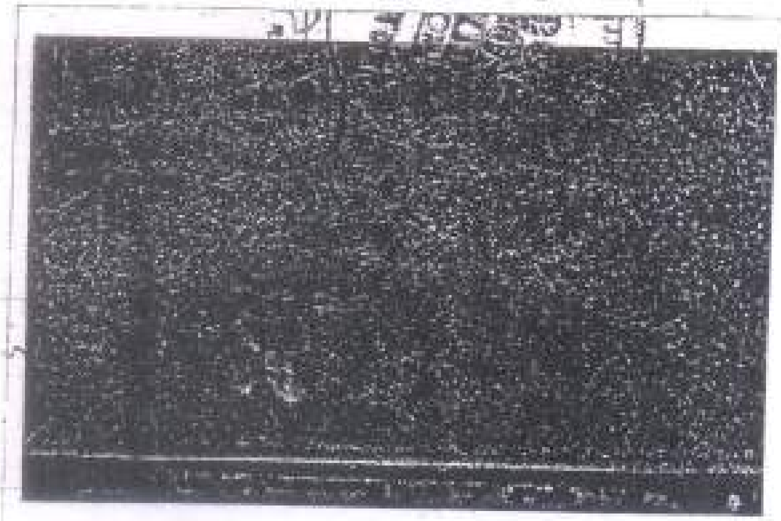

0JBB 724545

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

गवाह

1. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह R/o A-368 सैक्टर 19 नोएडा [illegible]

फरीक अव्वल(विक्रेता)

फरीक दोयम(क्रेता)

2. [illegible]

मसौदाकर्ता : महेश शर्मा दस्तावेज लेखक, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, सैक्टर-16, नौएडा।

दिनांक 3-5-2006

110 ... वर्ष ...

17 NOV 2004

क्रमांक सं. ... 17 ...

विक्रय पत्र/

बही सं. I जिल्द सं. 1378 के पृष्ठ 617 से 630 पर क्रमांक 3764

पर आज दिनांक 3-5-06 को रजिस्ट्री की गयी

उप निबन्धक, नोएडा-II

गौतम बुद्ध नगर